प्रेस विज्ञप्ति

27.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड बैंक धोखाधड़ी मामले में 24/3/2024 को 24 अचल संपत्तियों और नकदी, लक्जरी कारों, म्यूचुअल फंड, एफडीआर, बैंक बैलेंस के रूप में विभिन्न चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत 82.12 करोड़ रुपये (लगभग) है। ये कुर्क की गई संपत्तियां प्रणव गुप्ता, विनीत गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरजीत कुमार बंसल, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अर्जित अपराध की आय (पीओसी) से संबंधित हैं।

ईडी ने मेसर्स पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड, इसके प्रमोटर निदेशक प्रणव गुप्ता, विनीत गुप्ता और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता,1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि 2009 से 2014 की अवधि के दौरान मेसर्स. पैराबोलिक ड्रग लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 1626.7 करोड़ रुपये की गलत हानि पहुंचाई।

इससे पहले, मौजूदा मामले में, मेसर्स पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड, उनके निदेशक, प्रमुख पदाधिकारी, पीओसी के लाभार्थी और एंट्री ऑपरेटरों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत 27/10/2023 और 15/12/2023 को चंडीगढ़, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, मुंबई और दिल्ली में स्थित विभिन्न परिसरों में तलाशी ली गई थी। तलाशी के परिणामस्वरूप विभिन्न चल और अचल संपत्ति, डिजिटल उपकरण और अन्य अभियोगात्मक दस्तावेज़ जब्त किए गए। इसके बाद प्रणव गुप्ता, विनीत गुप्ता और मेसर्स पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड के सीए एस.के बंसल को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था। मेसर्स पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड, प्रणव गुप्ता, विनीत गुप्ता और एस.के. बंसल के खिलाफ 26.12.2023 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), चंडीगढ़ के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) भी दायर की गई है और माननीय विशेष न्यायालय ने 03/02/2024 को अपराध का संज्ञान भी लिया है।

आगे की जांच जारी है।